

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक-..... /

सं०-03/आ०1-48/2025 / श्री संजय कुमार चौधरी, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, श्री गोरे लाल सिंह, प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय, बजरा और श्री सुनील कुमार शर्मा, तत्कालीन संयोजक-सह-प्रधानाध्यापक सम्प्रति सेवानिवृत्त, इन्टर विद्यालय, नारदीगंज के विरुद्ध श्री बिरेन्द्र कुमार द्वारा दायर परिवाद की जांच क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गया जी से करायी गयी।

2. परिवाद में श्री संजय कुमार चौधरी, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, श्री गोरे लाल सिंह, प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय, बजरा और श्री सुनील कुमार शर्मा, तत्कालीन संयोजक-सह-प्रधानाध्यापक सम्प्रति सेवानिवृत्त, इन्टर विद्यालय, नारदीगंज के विरुद्ध षडयंत्र कर उपस्थिति पंजी में छेड़-छाड़ कर वेतन भुगतान न करने का आरोप लगाया गया है।

3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गया जी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री बिरेन्द्र कुमार द्वारा दायर परिवाद को संचिकास्त किया जाता है।

4. उक्त पर अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० /

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक-03/आ०1-48/2025 353116 / पटना, दिनांक- 21.01.2026 /

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गया जी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया/श्री संजय कुमार चौधरी, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, श्री गोरे लाल सिंह, प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय, बजरा और श्री सुनील कुमार शर्मा, तत्कालीन संयोजक-सह-प्रधानाध्यापक सम्प्रति सेवानिवृत्त, इन्टर विद्यालय, नारदीगंज एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

Manoranjan Kumar

Date: 21-01-2026 12:39:50
निदेशक (प्रशासन)